न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09/2021 (2021/19) वाद पत्र

अनवान

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. मीनादेवी पत्नि नारायण कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बस्तीराम पिता नेनुराम कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मदनलाल पिता भारू कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. लोकेश सिंह – अधिवक्ता वादीया
2. हरीश टेलर – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 26.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 130 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 132 रकबा 0.64 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 188 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजी में वादीया का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एवं प्रतिवादी के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादीया के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि वाद वर्णित आराजियात मे मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार वादीया का 1/4 हिस्सा की भूमि को राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की अज्ञप्ति बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शुमिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 फौरमल पक्षकार होने से कोई दाद [illegible] गई है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब में अकंन किया गया कि वाद पत्र में कलम संख्या 1 [illegible] जहां तक भूमियां स्थित होने का तथ्य है स्वीकार है। किन्तु भूमियां वादीयां [illegible] प्रतिवादी संख्या [illegible] के नाम अभी नामान्तरित नही हुई है। प्रतिवादीगण के नाम पर आवश्यक उक्त [illegible] खातेदार हक से दर्ज [illegible]। प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होना स्वीकार है शेष कथन [illegible]तिवादी से सम्बधित न[illegible] प्रतिवादी ने 1/4 हिस्सा रामलाल पिता नाथुलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया से दिनांक 17.02.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से रामपाल के द्वारा सौपे गये कब्जे पर प्रतिवादी काबिज हुं और उसी पर लगभग 30 वर्षो से काश्त लाभ प्राप्त कर रहा हुं। मजीद कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:55 IST
Reason: SelfAttested

एवं काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि वादीया राजस्व रेकार्ड में खातेदार नही है। उक्त वाद प्रस्तुत करने का कानुनन अधिकार नही है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/4 हिस्से की कब्जे शुदा भूमि व अन्य आराजी संख्या 122 रकबा 0.32 है0 का मौके पर एक ही चक के रूप में भूमि पर काबिज है इसलिये मुझ प्रतिवादी के कब्जेशुदा 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी के हिस्से में रखते हुए विभाजन किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जेशुदा भूमि पर चारो तरफ बाड़ व पत्थरो में कोट वर्षो से पूर्व से करवा क रखा है व लाखों रूपये व श्रम लगाकर उपजाउ बनाया है इसलिये जरिये काउन्टर क्लेम उक्त वर्णित कब्जे शुदा भूमि हिस्से को मुझ प्रतिवादी के हिस्से में रखते हुए विभाजन करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2021 को वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 130 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 132 रकबा 0.64 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि में वादीया का 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे को मध्यनजर रखते हुए विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17. 05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 196 में प्रस्तावित आराजी संख्या 132/3 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 133/2 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि लक्ष्मीदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत सा0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 132/2 रकबा 0.36 है0 मीनादेवी पत्नि नारायण कुमावत सा. दियास तहसील रायपुर खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 130 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 132/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि मदनलाल पुत्र भारू कुमावत सा. डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 133/1 रकबा 0.36 है0 भूमि बस्तीराम पुत्र नेनूराम कुमावत सा. डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा खातेदार ... रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना ... करें।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे ... लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:55 IST
Reason: SelfAttested

26/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—09/2021 (2021/19) वाद पत्र

अनवान

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. मीनादेवी पत्नि नारायण कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बस्तीराम पिता नेनुराम कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मदनलाल पिता भारू कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 196 में प्रस्तावित आराजी संख्या 132/3 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 133/2 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि लक्ष्मीदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत सा0 चिलेश्वर तहसील करेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 132/2 रकबा 0.36 है0 मीनादेवी पत्नि नारायण कुमावत सा. दियास तहसील रायपुर खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 130 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 132/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि मदनलाल पुत्र भारू कुमावत सा. डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 133/1 रकबा 0.36 है0 भूमि बस्तीराम पुत्र नेनूराम कुमावत सा. डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

26/05/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:55 IST
Reason: SelfAttested